दिनांक 15.10.2016 को पूर्वान्ह् में जनपद प्रतापगढ़ के थाना मान्धाता में आयोजित "समाधान दिवस" के किये गये औचक निरीक्षण की अभिलिखित टिप्पणी ।

द्वारा : जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन, गृह (पुलिस) अनुभाग–3, दिनांक 14.06.2014 जन समस्याओं के निस्तारण हेतु "समाधान दिवस" के कम में आज दिनांक 15.10.2016 को पूर्वान्ह् में जनपद प्रतापगढ़ के थाना मान्धाता में आयोजित समाधान दिवस का पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के साथ संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री राज किशोर थानाध्यक्ष मान्धाता, प्रतापगढ़ उपस्थित रहे।

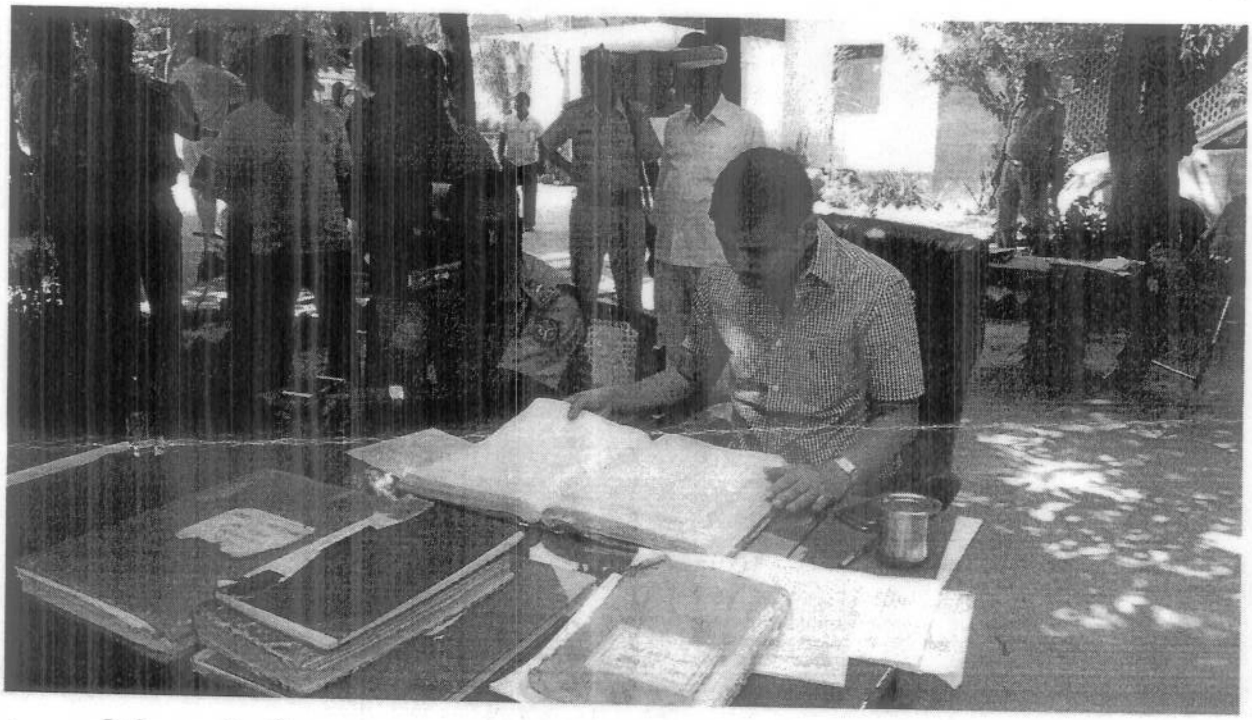

1. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मात्र 07 लेखपाल कमशः श्री सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री बृहस्पतिराम सरोज, श्री अमृत लाल गुप्ता, श्री श्याम नारायण सरोज, श्री सुभाष चन्द्र, श्री ऐनुल हसन एवं श्री अनिल कुमार विन्द उपस्थित रहे, जिनके द्वारा सामान्य रजिस्टर पर अपना नाम पदनाम एवं क्षेत्र का विवरण लिखकर हस्ताक्षर बनाये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त कोई भी राजस्व निरीक्षक व अन्य लेखपाल उपस्थित नहीं हुआ। उल्लेखनीय है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में सम्पन्न थाना कोतवाली नगर में समाधान दिवस के दौरान समस्त उप जिलाधिकारियों/थानाध्यक्षों को निम्न पेशानी पर रजिस्टर तैयार कर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु खेद का विषय है कि उक्त महत्वपूर्ण निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया। यह स्थिति अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में मुख्य राजस्व अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का स्पष्टीकरण प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें तथा भविष्य में आयोजित होने वाले समाधान दिवसों पर उपरोक्त प्रारूप पर लेखपालों की उपस्थिति

———2

सुनिश्चित करायें।

क्र0	तहसील का नाम	राजस्व निरीक्षक/लेखपाल का नाम	आवंटित क्षेत्र का नाम	मोबाइल नंबर	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6

2. निरीक्षण के दौरान समाधान दिवस से सम्बन्धित रजिस्टर के अवलोकनोपरांत पाया गया कि उक्त रजिस्टर में आवेदकों के नाम के सम्मुख मोबाइल नंबर अंकित नहीं किये जा रहे हैं, जबकि उक्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में ही जनपद के समस्त थानाध्यक्षों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जा चुका है फिर भी उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया। यह स्थिति अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी रानीगंज को निर्देशित किया जाता है कि उक्त के लिए अधिकारी/कर्मचारी का स्पष्टीकरण प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें।

3. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि गत में आयोजित समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतें अत्यन्त ही कम है और आज पूर्वान्ह् 10.30–12.00 बजे के अन्तराल में (1.30 घण्टे) अधोहस्ताक्षरी के समक्ष मात्र 04 शिकायतकर्ता उपस्थित हुए। इससे स्पष्ट है कि समाधान दिवस का पर्याप्त प्रचार–प्रसार नहीं किया गया है। यह स्थिति अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में समस्त उप जिलाधिकारी सदर/रानीगंज को निर्देशित किया जाता है कि उक्त महत्वपूर्ण कार्यक्रम का अपने–अपने क्षेत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार करायें जिससे समाधान दिवस के दिन भूमि विवाद से सम्बन्धित अधिक से अधिक शिकायतें प्राप्त हों और उनका राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम के माध्यम से स्थलीय निरीक्षण कराकर तत्काल समाधान हो सके।

4. निरीक्षण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि थाना मान्धाता में अभी तक पूर्व में सम्पन्न समाधान दिवसों के कुल 06 प्रकरण निस्तारण हेतु लम्बित है। उल्लेखनीय है कि समाधाऩ दिवस के प्रकरणों को नियत समयावधि में निस्तारित करने हेतु शासन स्तर से स्पष्ट निर्देश हैं, किन्तु खेद का विषय है कि अभी तक 06 शिकायतें निस्तारण के अभाव में लम्बित हैं। इस सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी रानीगंज को निर्देशित किया गया कि उक्त के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का स्पष्टीकरण प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें तथा स्वयं के पर्यवेक्षण में उक्त शिकायतों का नियमानुसार निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

5. निरीक्षण के दौरान आई0जी0आर0एस0 के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में पूँछतांछ करने पर कोई भी विवरण अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में थानाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि जिस कर्मचारी द्वारा उक्त कार्य देखा जाता है वह वर्तमान समय में अवकाश पर है। उल्लेखनीय है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में ही इस आशय के स्पष्ट निर्देश निर्गत किये गये हैं कि जो भी अधिकारी/कर्मचारी अवकाश पर जायें तो अपने पटल से सम्बन्धित कार्य का विवरण अपने सहयोगी को हस्तगत कराने के उपरान्त

ही जायें, किन्तु खेद का विषय है क उक्त महत्वपूर्ण निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया। यह स्थिति अत्यन्त ही चिन्ताजनक है। इस सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी रानीगंज को निर्देशित किया गया कि उक्त के लिए उत्तरदायी कर्मचारी का स्पष्टीकरण प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें तथा स्वयं के पर्यवेक्षण में उक्त शिकायतों का नियमानुसार निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

6. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि थाना परिसर की चहारदीवारी मुख्य द्वार के उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों दिशाओं में टूटी हुई है तथा 02 पेड़ भी गिरे हुए हैं। इस सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया कि उक्त के सम्बन्ध में तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

7. निरीक्षण के दौरान आगामी विधानसभा निर्वाचन की तैयारी से सम्बन्धित रजिस्टर के अवलोकनोपरांत पाया गया कि उक्त थाने पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा प्रेषित रजिस्टर रखा गया है जिसमें अभी तक कोई भी प्रविष्टि अंकित नहीं की गयी है। इस सम्बन्ध में थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया कि उक्त रजिस्टर में समस्त सम्बन्धित सूचनाएं नियमित रूप से अंकित कराना सुनिश्चित करें।

8. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि थाने पर अभी तक कुल 06 प्रकरण विवेचना के अभाव में लम्बित हैं। इस सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी रानीगंज को निर्देशित किया जाता है कि उक्त समस्त प्रकरणों का स्वयं के पर्यवेक्षण में नियमानुसार निस्तारण कराना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को एक सप्ताह के भीतर अवगत करायें।

9. निरीक्षण के दौरान श्रीमती सरोजा पाण्डेय पत्नी श्री राधेश्याम, निवासी ग्राम गाजीपुर, थाना मान्धाता के भूमि विवाद सम्बन्धी पुराने प्रकरण के बारे में मौके पर उपस्थित लेखपाल से पूँछतांछ करने पर उनके द्वारा अनभिज्ञता व्यक्त की गयी। यह स्थिति अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में थानाध्यक्ष मान्धाता को निर्देशित किया गया कि राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम भेजकर तत्काल समस्या का नियमानुसार समाधान करायें।

10. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त थाने पर समाधान दिवस के दौरान कोई भी चौकीदार उपस्थित नहीं है। इस सम्बन्ध में थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया कि उक्त के सम्बन्ध में तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

11. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि गुण्डा रजिस्टर के अवलोकनोपरांत पाया गया कि उक्त रजिस्टर में समस्त प्रविष्टियॉ अद्यावधिक नहीं की गयी हैं। इस सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी रानीगंज को निर्देशित किया गया कि उक्त के सम्बन्ध में तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

12. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि थाना परिसर में काफी संख्या में लावारिस 02 एवं 04 पहिया वाहन खड़े हैं। इस सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित थानाध्यक्ष कोंहड़ौर को निर्देशित किया गया कि उक्त लावारिस एवं निष्प्रयोज्य वाहनों के निस्तारण हेतु तत्काल नियमानुसार

------------4

आवश्यक कार्यवाही करें। साथ ही पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया गया कि उक्त के सम्बन्ध में अपने स्तर से समस्त थानाध्यक्षों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उपर्युक्त दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।

(डा0 आदर्श सिंह)
जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

(12)

कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी प्रतापगढ़।

संख्या : 1193/शिविर–2016

दिनांक : अक्टूबर 17, 2016

1. आयुक्त महोदय, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
2. पुलिस महानिरीक्षक महोदय, इलाहाबाद जोन, इलाहाबाद।
3. पुलिस उप महानिरीक्षक, इलाहाबाद परिक्षेत्र, इलाहाबाद।
4. पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।
5. मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़।
6. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/मुख्य राजस्व अधिकारी, प्रतापगढ़।
7. अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी), प्रतापगढ़।
8. उप जिलाधिकारी सदर/रानीगंज।
9. क्षेत्राधिकारी रानीगंज/थानाध्यक्ष मान्धाता, प्रतापगढ़।
10. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, प्रतापगढ़।
11. अन्य समस्त सम्बन्धित।

जिलाधिकारी
प्रतापगढ़।